उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

युगल पीठ

कोरमः माननीय मुख्य न्यायधीश श्री एस आर नायक,

माननीय न्यायधीश श्री डी आर देशमुख,

रिट याचिका संख्या 1417/2006

याचिकाकर्ता बलविंदर सिंह राजपुत पिता श्री सोहन सिंह राजपुत उम्र 58 साल निवासी 523 प्रियर्दशिनी नगर, रायपुर

बनाम

उत्तरवादी

01. भारत संघ, द्वारा सचिव विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
02. बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अध्यक्ष नई दिल्ली
03. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद द्वारा अध्यक्ष्, उच्च न्यायलय परिसर, बिलासपुर
04. रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़
05. उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ रायपुर ।
06. प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी समिति, रायपुर द्वारा अध्यक्ष श्री राजेश श्रीवास्तव निवासी 445 प्रियदर्शिनी नगर, रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

श्री बी.पी.शर्मा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता,
श्री एस.के बेरीवाल, प्रत्यर्थी संख्या 1/केन्द्र सरकार के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ।
श्री भीष्म किंगर, प्रत्यर्थी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता ।

(मौखिक आदेश)

(22 मार्च,2006 को उद्घोषित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **श्री एस.आर.नायक, मुख्य न्यायाधीश** द्वारा उद्घोषित किया गया ।

यचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (संक्षेप में अधिनियम) के प्रावधानों के तहत उत्पन्न विवाद में एक पक्षकार है। अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के बहुत रजिस्ट्रार या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के बोर्ड जैसा भी प्रकरण हो पूर्व अनुमति के बिना किसी पक्षकार को विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, चुकि रजिस्ट्रार की पूर्व अनूमति के बिना अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (2) के मद्देनजर किसी पक्ष को कानूनी व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नही है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकार्ता ने उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी रायपुर जो रजिस्ट्रार शब्द कि परिभाषा के अनुसार रजिस्ट्रार है, को एक अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दिया है। याचिकाकर्ता के उस अनुरोध को उप रजिस्ट्रार ने दिनांक 05.12.2005 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया था। याचिकार्ता ने उक्त आदेश से व्यथित होकर रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी रायपुर के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 78(1) 56/2005 के तहत पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी ने भी अपने आदेश दिनांक 22.02.2006 द्वारा पुनरीक्षण को निरस्त कर दिया, जिससे उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, रायपुर के आदेश की पुष्टि हुई ।

इसीलिए याचिकाकर्ता ने यह रिट यचिका न केवल उप रजिस्ट्रार और सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार, रायपुर द्वारा दिए गए आदेशों को निरस्त करने के लिए, बल्कि कुछ अन्य राहतों के लिए भी प्रस्तुत की है। रिट याचिका के कडिका 7 में निम्नलिखित अनुतोश की मांगी गई हैः-

“7. मांगा गया अनुतोषः

याचिका के कडिका 5 और 6 में उल्लेखित तथ्यों और आधारों को देखते हुए, याचिकाकर्ता निम्नलिखित **अनुतोष** की प्रार्थना करता हैः-

क. एक रिट और/या परमादेश रिट की प्रकृति का एक आदेश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी अधिकारियों को इस माननीय न्यायालय के समक्ष सभी अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता के मामलों से संबंधित अभिलेखों को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ख. अधिवक्ता अधिनियम ,1961 की धारा 30 को लागू करने के लिए केवल एक या दूसरे तरीके से अधिसूचना जारी करने के विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या एक को एक रिट और/या परमादेश कि प्रकृति का एक आदेश जारी किया जाए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने कि तिथि से लगभग आधी शताब्दी बीत चुकी है।

ग. प्रकरण संख्या 64-23/2005 में पारित दिनांक 05.12.2005 के आदेश और पुनरिक्षण याचिका संख्या 78(1) 56 /05 दिनांक 22.02.2006 (अनुलग्नक पी-1 और पी-2) में रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, रायपुर द्वारा इसकी पुष्टि को रद्द करने के लिए एक रिट और/या परमादेश कि प्रकृति का आदेश जारी करें ।

घ. वाद व्यय भी प्रपान किया जाता है। कोई अन्य राहत, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे । "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा, प्रत्यर्थी संख्या 1/ केन्द्रीय सरकार के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एस. के. बेरीवाल और प्रत्यर्थी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता भीष्म किंगर को सुना है ।

4. श्री बी.पी. शर्मा ने अपने सामान्य दृढ़ता और अनुनय के साथ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एलटेमेश रीन, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय भारत बनाम भारत संध और अन्य के मामले में जारी निर्देश पर दृढ़ता से अवलंब करते हुए तर्क दिया कि 49 वर्षो के अंतराल के बावजुद भारत सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 कि धारा 30 को लागू नहीं किया हैं और भारत सरकार के लिए अधिवक्ता अधिनियम कि धारा 30 को लागू ना करने का कोई औचित्य नहीं था और परिणामस्वरूप, पक्षकार जनता के साथ-साथ अधिवक्ता समुदाय को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। विद्वान अधिवक्ता ने बात को रेखांकित किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एलटेमेश रीन (पूर्वोक्त 1) के मामले में जारी निर्देश के बावजूद भारत सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले के गुण-दोष के आधार पर, श्री बी.पी. शर्मा का तर्क है कि उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, रायपुर के समक्ष निर्णय के लिए लंबित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, रायपुर को याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (2) के तहत अपने मामले में अभियोजन के लिए अधिवक्ता की सेवाएं लेने की अनुमति देनी चाहिए थी। श्री शर्मा का कहना है कि यदि याचिकाकर्ता को अधिवक्ता की सेवाएं लेने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इससे उनके पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव नुकसान होगा, क्योंकि छठे प्रत्यर्थी का

प्रतिनिधि, अर्थात सहकारी समिति का अध्यक्ष जो छठे प्रत्यर्थी-सहकारी समिति की ओर से वाद का संचालन करेगा, सहकारी विधि का अच्छा जानकार है और वह मामले का संचालन करता रहा है और यह दोनों पक्षों के बीच असमान लड़ाई होगी। संक्षेप में, श्री शर्मा का कहना है कि सहकारी सोसाइटी के उप रजिस्ट्रार और सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार, रायपुर ने अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के तहत अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण और निष्पक्ष रूप से नहीं किया। दूसरी ओर, भारत संघ और छठे प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया।

(5) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमें इस रिट याचिका में कोई गुणवत्ता नहीं दिखता है। सबसे पहले, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस निमित्त नियुक्त करें, और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखें नियुक्त की जा सकती हैं। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 1 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि उपधारा (4) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के संबंध में यह अधिनियम उस तारीख को लागू होगा, जिसे केंद्रीय सरकार निर्धारित करे। इस प्रकार, यह सुंस्पश्ट है कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के अधीन, आधिकारिक राजपत्र में उप-धारा (3) के तहत परिकल्पित अधिसूचना जारी करके अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करना केंद्र सरकार की शक्ति है। केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्ति अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की दिनांक चुनने के संबंध में एक विवेकाधीन शक्ति है। यह सवाल कि क्या एक रिट केंद्र सरकार को किसी विशेष तरीके से और किसी विशेष समय और स्थान पर उस विवेक का प्रयोग करने के लिए लाया जा सकता है, ए.के. रॉय बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय के तहत अब अनिर्णित विधी नहीं है। इसके अलावा, एलटेमेश रीन (पूर्वोक्त[1]) के मामले में, इस रिट याचिका में किए गए अनुरोध के समान ही एक अनुरोध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने के लिए किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के. रॉय (पूर्वोक्त[2]) के मामले में संविधान पीठ के निर्णय पर अवलंब करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार व्यक्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने, हालांकि, निर्णय के कडिका -6 में इस प्रकार टिप्पणी की:-

"लेकिन, हमारा विचार है कि यह निर्णय इस न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को यह विचार करने के लिए आदेश देने के मार्ग में नहीं आता है कि अधिनियम की धारा 30 को लागू करने का समय आ गया है या नहीं। कार्यपालिका में निहित प्रत्येक विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्यायसंगत, उचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चाहिए। यही विधि के शासन का सार है। अधिनियम 1961 में उद्घोषित किया गया था और इसे भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुए लगभग 27 वर्ष बीत चुके हैं। कई मामलों में, अधिवक्तओं के सम्मेलनों और बैठकों में पिछले दिनों केंद्र सरकार से अधिनियम की धारा 30 को लागू करने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव उद्घोषित किए गए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार ने इस प्रश्न पर बिल्कुल भी विचार किया है या नहीं कि अधिनियम की धारा 30 को लागू किया जाना चाहिए या नहीं। इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि केंद्र सरकार को उचित समय के भीतर इस प्रश्न पर विचार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि उसे अधिनियम की धारा 30 को लागू करना चाहिए या नहीं। यदि इस तरह के विचार-विमर्श के बाद केंद्र सरकार को लगता है कि मौजूदा परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अधिनियम की धारा 30 को तुरंत लागू नहीं किया जाना चाहिए तो यह एक अलग मामला है। लेकिन उसे उक्त प्रश्न पर विचार किए बिना मामले को यूँ ही छोड़ देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यद्यपि अधिनियम की धारा 30 [धारा 1(3)] के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति विवेकाधीन है, फिर भी इस मामले में केन्द्र सरकार से यह प्रश्न पर विचार करने को कहा जाना चाहिए कि क्या उसे इस विवेक का प्रयोग किसी एक तरीके से करना चाहिए या किसी अन्य तरीके से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से एक चौथाई शताब्दी से अधिक समय बीत चुका है। भारत के विद्वान महान्यायवादी ने ऊपर बताए गए तरीके से रिट जारी करने के इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर गंभीरता से विवाद नहीं किया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) इस स्तर पर ही, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि केंद्र सरकार को भी ऐसा सीमित निर्देश जारी किया गया था, क्योंकि, भारत के विद्वान महान्यायवादी, जो उस मामले में उपस्थित हुए थे, ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा-6 में स्वयं देखी गई इस तरह के सीमित निर्देश जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर विवाद नहीं किया। यह काफी उत्सुकता की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देश के बावजूद याचिकाकर्ता चाहता है कि हम केंद्र सरकार को भी इसी तरह का निर्देश जारी करें। इस न्यायालय को अनावश्यक रिट जारी नहीं करनी चाहिए, खासकर, जहां मांगी गई रिट पहले से ही केंद्र सरकार के विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई है। हालांकि, श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है याचिकाकर्ता ने कहा है कि एलटेमेश रीन (पूर्वोक्त[1]) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट का अभी तक केंद्र सरकार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। हमें इस पर बहुत संदेह है। जो भी हो, यदि ऐसा है, तो यह तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जाना चाहिए तथा यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का काम है कि वह केंद्र सरकार की ओर से रिट की अवज्ञा के लिए उचित कार्रवाई करे।

(7) इसलिए,कडिका -7 के खंड (ए) और (बी) में मांगी गई राहत याचिकाकर्ता को उपर्युक्त कारणों से नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि चूंकि इस रिट याचिका में अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया है, इसलिए यदि खंड (ए) और (बी) में मांगी गई रिट मंजूर की जाती है, तो यह अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) में निहित विधि का उल्लंघन होगा। ऐसा कोई कदम उठाने की अनुमति नहीं है।

(8) यह हमें याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अगले तर्क की ओर ले जाता है, यानी, कि उप रजिस्ट्रार और सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार, रायपुर को अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपने पक्ष में विवेक का प्रयोग करके याचिकाकर्ता को अपना मामला संचालित करने के लिए अधिवक्ता की सेवाएं लेने की अनुमति देनी चाहिए थी। हमने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, 6वें प्रत्यर्थी- सहकारी सोसाइटी द्वारा उठाए गए विरोध और उप रजिस्ट्रार और सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार, रायपुर द्वारा दिए गए आदेशों का अवलोकन किया है। याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से इस आधार पर उप रजिस्ट्रार से अधिवक्ता की सेवाएं लेने की अनुमति मांगी थी कि वह विधी से परिचित नहीं है और वह अक्सर अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रायपुर शहर से बाहर जाता रहता है। जब वैधानिक अधिकारियों के समक्ष दायर आवेदन में यही तथ्य रखे गए हैं, तो काफी दिलचस्प बात यह है बहस के दौरान, श्री बी.पी. शर्मा ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को अधिवक्ता की सेवाएं लेने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह एक असमान लड़ाई होगी, क्योंकि सहकारी समिति का अध्यक्ष, जो सहकारी समिति की ओर से मामला संचालित करने जा रहा है, विधि का अच्छा जानकार है और एक तरह से किसी भी विधि व्यवसायी के बराबर है। आवेदन में ऐसा अभिवचन बिलकुल भी नहीं किया गया था। निष्पक्षता से, हमें कहना चाहिए कि सहकारी समिति के अध्यक्ष ने उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, रायपुर के समक्ष कहा कि यदि किसी भी कारण से याचिकाकर्ता को अधिवक्ता की सेवाएं लेने की अनुमति दी जाती है, तो सहकारी समिति को भी उनके मामले संचालित करने हेतु के लिए अधिवक्ता की सेवाएं लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमें लगता है कि यह एक उचित तर्क थी। ऐसा नहीं है कि उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, रायपुर ने सहकारी समिति को अधिवक्ता रखने की अनुमति दी, जबकि याचिकाकर्ता को ऐसी सुविधा देने से इनकार कर दिया। उप पंजीयक के साथ-साथ पंजीयक, सहकारी समितियां द्वारा याचिकाकर्ता के अनुरोध को खरिज करने में प्रयोग किए गए विवेकाधिकारों गलत नहीं ठहराया जा सकता है। वैधानिक प्रधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार, जैसा कि न्यायालयों द्वारा माना और दोहराया गया है, न्यायालयों द्वारा हल्के में हस्तक्षेप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी कोण से देखने पर, हमें इस रिट याचिका में कोई सार नहीं पाया गया । इसलिए, रिट याचिका खारिज की जाती है। कोई वाद व्यय आदेश दिया जाता है।**नहीं।**

सही/- मुख्य न्यायाधीश

सही/- डी.आर. देशमुख न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by – Advocate Soniya sahu

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur